/

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :......56......

दिनांक ...11/10/2012......

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय– वित्त विभाग द्वारा दिनांक–01.01.09 एवं उसके बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का गलत संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की गलत व्याख्या करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग द्वारा छठे वेतन पुनरीक्षण के लिए गठित वेतन समिति के प्रतिवेदन के आलोक में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 निर्गत किया गया जिसकी कंडिका–8 में वर्णित प्रक्रिया के तहत Schedule-II के अनुरूप 01.01.09 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा निर्गत किया गया था। इसके अनुसार उन पदाधिकारी का वेतनमान Pay band -2 (9300–34800) में बैंड वेतन 14880 एवं ग्रेड पे 5400 निर्धारित कर वेतन पुर्जा निर्गत किया गया था। जो केन्द्र सरकार द्वारा भी अधिष्ठापित नियम के अनुरूप है।

इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा पारिपत्र सं0–7101 दिनांक–01.08.2011 की कंडिका–2 (II) में उपरोक्त संकल्प की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर 31.12.08 के बाद नियुक्त पदाधिकारी के लिए उक्त नियम को लागू किया हुआ नहीं बताया गया। वर्ष 2012 के अगस्त/सितम्बर माह में इन पदाधिकारी के लिए बगैर कोई संकल्प निर्गत किये मंत्रिमंडल के फैसले के विरूद्ध संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है। जिसमें 01.01.09 के बाद नियुक्त पदाधिकारी को PB-2 (9300-34800) में मूल प्रक्रम 9300 पर बैंड वेतन ग्रेड पे 5400 जोड़कर वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है जिसमें हरेक पदाधिकारी का वेतनमान कम–से–कम 10,000 प्रति माह कम कर दिया है, जो कि केन्द्र सरकार में इस प्रकार की नियुक्ति में अपनायी जा रही प्रक्रिया के विपरीत है (केन्द्र सरकार में वर्त्तमान नई नियुक्ति के वेतन निर्धारण आदेश की छायाप्रति संलग्न)।

एक ओर महंगाई की मार तो दूसरी ओर वित्त विभाग द्वारा वेतनमान के गलत कटौती आदेश से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अपने आप में आहत महसूस करता है। इससे संघ के सदस्यों में काफी असंतोष है।

कृ0पृ0उ0

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द्र वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवदीय से निवेदन करती है कि गलत ढ़ग से निर्गत किये जा रहे मूल वेतनमान के पदाधिकारियों के वेतनपूर्जा पर अविलम्ब रोक लगाते हुए सरकार के द्वारा स्थापित संकल्प सं0–630 दिनांक–21.01.10 की कंडिका 8 के अलोक में Schedule-II के अनुरूप ही वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।

2. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 01.01.09 से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 लागू किया गया जिसमें राज्य कर्मियों को 10 वर्ष, 20 वर्ष, एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वित्तीय उन्नयन दिए जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग की संचिका पर वित्त विभाग ने परामर्श दिया है कि जिन पदाधिकारियों को 01.01.2009 के पूर्व लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के आलोक में 12 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है उन्हें स्वीकृति की तिथि से 10 वर्ष के उपरान्त अर्थात 22 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाए। जबकि सदृश्य मामलों में अन्य प्रीमियर सेवा यथा बिहार पुलिस सेवा, बिहार पशुपालन सेवा, बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति योजना 2010 के प्रावधानों के अनुरूप 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय वेतन उन्नयन स्वीकृति किया जा रहा है (संबंधित विभागों के स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न)।

इसी प्रकार 01.01.2006 के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत मूल कोटि के वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा अवधि 01.01.2009 एवं उसके बाद से अद्यतन 10 वर्ष एवं उससे अधिक की हो गई है उनके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की संचिका में वित्त विभाग द्वारा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए परामर्श दिया गया है कि 01.01.2006 को मूल कोटि के पदाधिकारियों के छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार किए गए वेतन निर्धारण को वित्तीय उन्नयन मानकर उस तिथि से 10 वर्ष के बाद प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे – 6600 में दिया जाए। इस संदर्भ में संघ स्पष्ट करना चाहता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में 01.01.2006 को कार्यरत पदाधिकारियों छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में सरकार द्वारा स्थापित संकल्प सं0–630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मात्र वेतन निर्धारण (Pay fixation) किया गया है न कि कोई वेतन उन्नयन स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के इस दोषपूर्ण व्याख्या के अनुरूप कार्रवाई करने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 40वीं बैच के पदाधिकारियों को 19वें वर्ष में, 41वीं बैच के पदाधिकारियों को 17वें वर्ष

कृ0पृ0उ0

में तथा 42वीं बैच के पदाधिकारियों को 16वें वर्ष में सेवाकाल का पहला वित्तीय उन्नयन 6600 के ग्रेड पे में मिलेगा। जबकि समरूप स्थिति में अन्य प्रीमियर सेवा यथा बिहार पुलिस सेवा, बिहार पशुपालन सेवा एवं अन्य सेवाओं में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अनुरूप 01.01.2009 को एवं उसके बाद की तिथि को सेवा में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण देने पर प्रथम वृत्ति उन्नयन ग्रेड पे – 6600 में स्वीकृत किया जा रहा है (स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न)।

इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान पुनरीक्षण में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा में प्रवेश के स्तर पर PB–2 एवं ग्रेड पे 5400 एवं 4 वर्ष की सेवा अवधि एवं सम्पुष्टि के पश्चात् PB–3 एवं ग्रेड पे – 5400 स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए वित्त विभाग द्वारा पत्रांक–8710 दिनांक–19.09.2010 बिहार प्रशासनिक सेवा के मूलकोटि के पदाधिकारियों को एक ही ग्रेड पे 5400 में 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 6600 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 7600 में स्वीकृत करने का आदेश निर्गत किया गया है। जबकि तथ्य यह है कि PB –2 ग्रेड पे 5400 से PB–3 ग्रेड पे 5400 में उत्क्रमण केवल Notional है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होता है। वित्त विभाग के इस दोषपूर्ण व्याख्या से न केवल 10 वर्षों की जगह पर 14 वर्षों में प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त होगा वरण पूरे सेवा काल में मात्र दो वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे – 6600 एवं 7600 में अनुमान्य बताकर तृतीय वित्तीय उन्नयन को खत्म किया जा रहा है। जो कि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के मूल अवधारणा के विपरीत है। वित्त विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के साथ अपनाई जा रही इस दोहरी नीति पर संघ के सदस्यों में काफी असंतोष है।

संघ भवदीय से इन समस्याओं पर शीघ्र पहल कर समाधान कराने का अनुरोध करती है।

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव

ज्ञापांक– 56 पटना, दिनांक– 11/10/2012

प्रतिलिपि :– सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्र, हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सुशील 11/10/12

(सुशील कुमार)
महासचिव